–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 2/2020

उनवान

1. नाथी पुत्री रामनारायण पत्नी मोफत नि0 देराठू हाल नि0 कानपुरा ,नसीराबाद,
2. संतोष पुत्री रामनारायण पत्नी उगमा हाल नि0 सनोद,
3. छोटी पुत्री रामनारायण पत्नी लालाराम हाल नि0 कानपुरा, नसीराबाद समस्त जाति जाट

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. घीसी पत्नी सुवालाल,
2. हनुमान,
3. सुमित्रा,
4. विष्णु पि0 सुवालाल समस्त जाति जसाट नि0 देराठू, नसीराबाद,
5. मैनेजर बैंक आफॅ बडौदा नसीराबाद,
6. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 2 व 4 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
6 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :–

दिनांक :– 25/9/18

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू में स्थित आराजी प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी/काश्तकारी की है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
203	0–14–0	185	0.12
204	0–0–10		
232	2–8–0	172	0.37
1133	1–0–10	1801	0.18
1253	1–3–10	1880	0.19
1294	0–10–0	1901 1902	0.05 0.03
1295	0–15–0	1918	0.07
2316	4–15–0		0.46 0.33

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:31:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उपरोक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में खातेदार रामनारायण पुत्र छोगा के नाम दर्ज है, जिसकी मृत्यु हो गयी है के वारिस भूली पत्नी रामनारायण, नाथी, संतोष, छोटी पुत्रियॉ रामनारायण है। भूली पत्नी रामनारायण की भी मृत्यु हो गयी है। रामनारायण की पुत्रत्रिया प्रार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त चली आ रही है। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में बतौर वारिसान प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने के बजाय केवल मात्र भूली पत्नी रामनारायण के नाम अंकित कर दी। उसके पश्चात भूली पत्नी रामनारायण के द्वारा शून्य वसीयननामा के आधार पर गैर कानूनी व विधि विरू, तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज कर दी गयी है। हाल राजस्व अभिलेख के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 2 व 4 ने मूल वाद में जवाब पेश कर निवेदन किया कि जवाब कुनिन्दा के नाम उक्तआराजी नामान्तकरण संख्या 401 दिनांक 24.12.2004 से अधिकार अभिलेख में दर्ज हुयी है। उक्त नामान्तकरण को सक्षम न्यायालय में चुनोती नही दी है। 20 वर्ष बाद उक्त वाद पेश किया है। आराजी मुतनाजा नामान्तकरण संख्या 107 दिनांक 15.06.1992 से भूलीी पत्नी रामनारायण के नारम अंकित हुयी जिसे भी चुनौती नही दी गयी है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :– आराजी मुतनाजा ग्राम देराठू की वंर्किग जमाबंदी में रामनारायण पुत्र छोगा के नाम खातेदारी दर्ज थी। रामनारायण की मृत्यु के बाद उक्त आराजी जरियें विरासत नामान्तकरण संख्या 107 दिनांक 15.6.92 से भूली पत्नी रामनारायण के नाम दर्ज हुयी। प्रार्थीगण द्वारा 1992 को दर्ज उक्त नामान्तकरण के विरूद्व पूर्व में कोई कार्यवाही नही की है। यधपि धारा 88 आर टी ए के अनुतोष की काई समय सीमा नही है, किन्तु प्रार्थीगण द्वारा विलम्ब को कोई समुचित कारण नही बताया है। आराजी मुतनाजा हाल जमाबंदी में अप्रार्थीगण के नाम वर्ष 2013 से ही दर्ज है। राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार के विरूद्व बिना किसी ठोस कारण के अस्थायी निषेघाज्ञा जारी करना न्यायोचित नही है। प्रार्थना पत्र के शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही तय होगे। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा अप्रार्थीगण के नाम वर्ष 2013 से ही दर्ज है। उनके द्वारा आज दिवस तक भूमि का अन्यत्र हस्तांतरण नही किया है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को की गयी वसीयत की प्रति भी प्रस्तुत नही की है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व इस स्तर पर स्थगन जारी नही किया जा सकता है।ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना [illegible] होती है।

3. <u>सुविधा का संतुलन</u> :– न्यायहित में व्यादेश मं[illegible]र प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये [illegible] ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत [illegible] प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:31:36 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नही है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम देराढू की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:31:36 IST
Reason: SelfAttested